संख्या- **31/1795** ई-2/तेरह-2014-**136/2013**

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
इलहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: **24** नवम्बर, 2014

विषय: जनपद बाराबंकी की वर्ष 1977-78 की देशी शराब दुकान अहमदपुर के बकायेदार श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री भिखारी लाल निवासी उधौली, तहसील-नवाबगंज, जनपद बराबंकी की अनुज्ञापन शुल्क की अवसूलनीय बकाया धनराशि रू0 7,105.00 के राजस्व परित्यजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- जी-115/सात-राजस्व परित्यजन/1977-78/बाराबंकी/7,105/ दिनांक 03 सितम्बर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- जनपद बाराबंकी की वर्ष 1977-78 की देशी शराब दुकान अहमदपुर के बकायेदार श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री भिखारी लाल निवासी उधौली, तहसील-नवाबगंज, जनपद बराबंकी की अनुज्ञापन शुल्क की अवसूलनीय बकाया धनराशि रू0 7,105.00 के विरूद्व वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 12-08-1996 निर्गत किया गया। वसूली न होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 को वसूली प्रमाण-पत्र वापस कर दिया गया। जिला आबकारी अधिकारी, बाराबंकी एवं उप आबकारी आयुक्त फैजाबाद प्रभार, फैजाबाद ने संयुक्त जांच आख्या जी-31 में अंकित किया है कि अवसूलनीय बकाये की समीक्षा, संयुक्त जांच तथा वसूली प्रमाण-पत्र के वापस प्राप्त होने तथा प्रकरण पुराना होने के कारण वसूली किया जाना सम्भव नहीं है। बकायेदार द्वारा दिये गये स्थान/पते पर न तो बकायेदार रहता है और न ही उसका कोई वारिस/सम्बन्धी रह रहा है और न ही उसके नाम कोई चल-अचल सम्पत्ति है। हैसियत प्रमाण-पत्र की स्थिति एवं इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्व कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में जिला आबकारी अधिकारी ने अपनी आख्या दिनांक 04 जनवरी, 2013 में अवगत कराया है कि एतदर्थ कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। तद्क्रम में जिलाधिकारी, बाराबंकी ने अपने पत्र दिनांक 14 जून, 2012 में प्रपत्र जी-31 पर रू0 7,105.00 के राजस्व परित्यजन की संस्तुति की।

3- उक्त स्थिति के दृष्टिगत जिलाधिकारी, बाराबंकी ने अपने पत्र दिनांक 11 जुलाई, 2012 द्वारा जी-31 मय वसूली प्रमाण पत्र तथा संयुक्त जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि बाकीदार अंकित पते पर निवास नहीं करते हैं और न ही उनके बारे में कोई जानकारी

http://shasnadesh.up.nic.in

है और कोई चल अचल सम्पत्ति उनके नाम नहीं है, फलस्वरूप बकाया वसूल होना सम्भव नहीं है। अत- उक्त बकाये का राजस्वइ परित्यजन किये जाने की संस्तुति की है।

5- तद्क्रम में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 03 सितम्बर, 2014 द्वारा जिला आबकारी अधिकारी, बाराबंकी की आख्या दिनांक 04 जनवरी, 2013 व उप आबकारी आयुक्त की संयुक्त जांच आख्या दिनांक 14 जून, 2012 तथा जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा प्रपत्र जी-31 पर राजस्व परित्यजन के सम्बन्ध में प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर जनपद बाराबंकी की वर्ष 1977-78 की देशी शराब दुकान अहमदपुर के बकायेदार श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री भिखारी लाल निवासी उधौली, तहसील-नवाबगंज, जनपद बराबंकी की अनुज्ञापन शुल्क की अवसूलनीय बकाया धनराशि रू0 7,105.00 (रू0 सात हजार एक सौ पांच मात्र) के राजस्व परित्यजन की संस्तुति/प्रस्ताव किया गया है।

6- अत: वर्णित स्थिति में जनपद बाराबंकी की वर्ष 1977-78 की देशी शराब दुकान अहमदपुर के बकायेदार श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री भिखारी लाल निवासी उधौली, तहसील-नवाबगंज, जनपद बराबंकी की अनुज्ञापन शुल्क की अवसूलनीय बकाया धनराशि रू0 7,105.00 (रू0 सात हजार एक सौ पांच मात्र) के राजस्व परित्यजन की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

यह आदेश वित्त लेखा अनुभाग -2 के शासनादेश दिनांक 25-11-2011 में दी गई व्यवस्थानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

किशन सिंह अटोरिया

प्रमुख सचिव

संख्या- **31/1795** ई-2/तेरह-2014-**136/2013** तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- वित्त (लेखा) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
4- जिलाधिकारी, बाराबंकी।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय

अनुसचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in